

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2025-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 2025

सा.का.नि....(अ)- केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक, 30 जून 2017, जिसे संख्या सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 30 जून 2017, में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) के पश्चात, परंतुक में, अंक "2025" के स्थान पर, अंक "2026" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ii) अनुबंध के बाद, परंतुक में, मद (ख) में, अंक "2025" के स्थान पर, अंक "2026" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2025 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2025-टीआरयू]

(अमीता टाइटस)

उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 11/2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. सं. 793(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और जिसे अंतिम बार दिनांक 19 नवंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 28/2024- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जिसे सा.का.नि. सं. 716(अ) के तहत भारत

के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 19 नवंबर, 2024 को प्रकाशित किया गया था, संशोधित किया गया था।